कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/मा/खेलकूद–3/35665/निर्णायक पेनल/19–20/ दिनांक 06/09/19

: आदेश :

विभिन्न राज्य स्तरीय विद्यालयी एवं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य के शारीरिक शिक्षकों/खेल प्रशिक्षकों/प्रधानाचार्यों व अन्य कार्मिकों को भिन्न–भिन्न दायित्वों यथा चयन समिति, निर्णायक कार्य, प्रशिक्षण कार्य, पर्यवेक्षण कार्य एवं अन्य तत्संबंधी कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु निदेशालय कार्यालय हाजा द्वारा आदेश जारी किये जाते है। परन्तु खेद है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु सह शैक्षिक गतिविधियों में सर्वोपरि खेलकूद गतिविधियों के लिहाज से अत्यन्त महत्वपूर्ण विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु कई बार कार्यालय हाजा निदेशालय के आदेशों का उल्लघंन/अनदेखी की जाकर आदेशित किए गए कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, व अगर कार्यमुक्त कर दिया जाता है तो सम्बद्ध कार्मिक द्वारा कार्य स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया जाता, जिसके कारण खेलकूद प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों के सफल संचालन में प्रतियोगिता आयोजकों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इस क्रम में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए अपने जिलों के दलों के साथ विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु आदेशित कार्मिक को यदि निदेशालय द्वारा समानान्तर अवधि के दौरान / के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु /अन्य किसी प्रयोजन हेतु आदेशित कर दिया गया हो तो प्राथमिकता के आधार पर निदेशालय द्वारा जारी आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

उपरोक्त क्रम में समस्त संस्था प्रधानों/नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय द्वारा जारी राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए सम्बद्ध कार्मिक/अधिकारी को यथासमय निर्दिष्ट कार्यस्थल के लिए कार्यमुक्त करें, इसी प्रकार कार्यमुक्ति पश्चात सम्बद्ध कार्मिक/अधिकारी अपनी उपस्थिति निर्धारित स्थल पर यथा समय अनिवार्य रूप से प्रतिवेदित करें। कार्मिक के अस्वस्थ/लम्बे अवकाश की स्थिति में प्रमाण सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें ताकि वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकें।

उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरक्षः पालना समस्त संबंधितों द्वारा आवश्यक रूप से की जाए। आदेशों की अवहेलना तथा निर्देशों की क्रियान्विती में शिथिलता बरतने वाले संस्था प्रधान / नियंत्रण अधिकारी /सम्बद्ध कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए अथवा सक्षम अधिकारी को विभागीय कार्यवाही हेतु समुचित प्रस्ताव प्रेषित किए जावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निदेशक, प्रांरभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रां.शि) राजस्थान,बीकानेर।

02. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को पाबन्द करने हेतु।
03. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वय,समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में आदेशों की क्रियान्विति हेतु समुचित पर्यवेक्षक एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
04. प्रधानाचार्य,सादुल स्पोर्ट्स स्कूल,बीकानेर।
05. प्रधाचार्य,राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय,जोधपुर
06. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
07. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।
08. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को निर्देशों की सुनिश्चित पालना करने हेतु।
09. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सदंर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त पंचायत प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर